

>

Title: Statutory Resolution regarding approval of Proclamation by President in Relation to the State of Jharkhand (Resolution Adopted).

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SUSHILKUMAR SHINDE): I beg to move the following resolution:

"That this House approves the Proclamation issued by the President on the 18th January, 2013 under article 356(1) of the Constitution in relation to the State of Jharkhand."

13.44 Â½ hrs (Shri P.C. Chacko *in the Chair*)

Before I extend the circumstances in which the Government has had to bring the Resolution to this august House, may I state that the Constitution framers had recognized that the provisions of Article 356 among others were necessary to meet exceptional situation where the breakdown of the constitutional machinery occurs in a State.

May I take this opportunity to narrate briefly the circumstances prevailing in Jharkhand which led to the imposition of the President's rule in the State? ...(*Interruptions*) The elections to constitute the Legislative Assembly of Jharkhand were held in the months of November – December, 2009.

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please do not crowd there. Go to your seats. Order please.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please do not crowd there. Please move to your seats. Do not stand there. Please move to your seats.

...(*Interruptions*)

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: The total strength of the Legislative Assembly is 82, including one nominated Member. After the elections, the party-wise position in the Legislative Assembly so formed was as follows: Bharatiya Janata Party (BJP) – 18; Jharkhand Mukti Morcha (JMM) – 18; Indian National Congress – 14; Jharkhand Vikas Morcha (JVM) – 11; Janta Dal (United) – 2; Rashtriya Janata Dal (RJD) – 5; All Jharkhand Students Union (AJSU) – 5; Independents and other parties – 8. The total comes to 81.

The break-up of Independents and other parties is as follows: The Jharkhand Party – 1; CPI (ML) – 1; MCC – 1; JBSMSP – 1; JJM – 1; RKP – 1; Shri Harinarayan Ray – 1; Shri Videsh Singh – Independent – 1. The total comes to eight. One Member belonging to Anglo-Indian Community was subsequently nominated by the Governor.

The coalition Government came to office in Jharkhand on 30th December, 2009, with Shri Shibhu Soren of Jharkhand Mukti Morcha as Chief Minister. The ruling coalition, at the time of the Government formation, had been supported by 44 MLAs in the House of 81, plus one Nominated Anglo-Indian Member with the following party-wise break up: Jharkhand Mukti Morcha – 18; Bharatiya Janata Party – 18; All Jharkhand Students Union – 5; Jharkhand Janadhikar Manch – 1; Janata Dal (United) – 2.

Due to the political instability in the State, the President's rule was imposed in the State of Jharkhand on 1.6.2010 and the Assembly of the State was kept under suspended animation. The President's rule in the State was revoked on 11th September, 2010. Shri Arjun Munda of the BJP was sworn in as Chief Minister on 11th September, 2010 with the support of 46 Members as follows: BJP -18; JMM – 18; AJSU – 6; Jharkhand Janadhikar Manch – 1; Janata Dal (United) – 2; Independent – 1, that comes to 46.

The leaders of the JMM had met the Governor regarding their decision to withdraw their support to Shri Arjun Munda Government. Shri Arjun Munda, Chief Minister, along with a few MLAs of his Party came to Raj Bhawan and handed over the resignation letter of the Council of Ministers to the Governor with the recommendation of the Cabinet to dissolve the present Jharkhand Legislative Assembly. The resignation of Shri Arjun Munda had been duly accepted and he was asked to continue as caretaker Chief Minister till an alternative arrangement was made. Between 9th and 12th January, 2013, the Governor had parleys with the delegations of various prominent political parties in the State. The Governor informed that the withdrawal of support by the eighteen Members of the JMM Legislative Party had clearly reduced the coalition Government led by Shri Arjun Munda to minority in the State Legislative Assembly bringing down its strength from 46 to 28.

On the basis of the above fact, it was abundantly clear that the JMM, RJD, Congress and a few Independents were in favour of formation of an alternative Government in the State, while the JVM (P), the BJP, the Jharkhand People's Party, JD(U), AJSU, the Socialist Party of India and the Left Parties were for a fresh mandate after the dissolution of the Assembly. The Governor further stated that the State Administration had been in the semi-paralysed state since 8th January, 2103 when the Jharkhand Mukti Morcha publicly announced its decision to withdraw the support from the Government.

The Governor further informed that the political developments of the past few days as well as the stand of the main political parties in the Jharkhand Legislative Assembly made it abundantly clear that there was no possibility of formation of a stable, elected Government in Jharkhand at least for the time being. Moreover, any further continuance of the situation, the political impasse will derail the administrative machinery.

In the circumstances stated above, the Governor, in his Report dated 12th January, 2013 recommended the invoking of Article 356 of the Constitution of India for the imposition of President's Rule in Jharkhand while keeping the Jharkhand State Legislative Assembly under suspended animation.

In view of the situation prevailing in Jharkhand, the Union Government considered the Report of the Governor and proclaimed President's Rule in the State of Jharkhand under Article 356 (1) of the Constitution on 18th January, 2013 keeping the Legislative Assembly under suspended animation.

With these words, I commend, Sir, that the Proclamation issued on 18th January, 2013 under Article 356 (1) of the Constitution in relation to the State of Jharkhand be approved by the august House. A copy of the Proclamation, as stipulated in the Constitution, along with the consequential Order is also placed on the Table of the House. In keeping with the convention, a copy of the Governor's Report recommending issuance of the Proclamation is also placed on the Table of the House.

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

"That this House approves the Proclamation issued by the President on the 18th January, 2013 under article 356(1) of the Constitution in relation to the State of Jharkhand."

We will have a brief discussion. The Budget is coming up subsequently. We will have further Discussion then. Now, Shri Ravindra Kumar Pandey to speak. Please be brief.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा झारखंड में राष्ट्रपति शासन को पुनर्स्थापित करने के विषय को सभापटल पर रखने का काम किया गया है। सभापति जी, झारखंड राज्य पर कुदृष्टि जब से राज्य का निर्माण हुआ, किसी न किसी रूप में, चाहे राज्य का डिवेलपमेंट, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह हेल्थ के क्षेत्र में हो, चाहे गरीबी-रेखा में रहने वाले लोगों के विकास की बात हो, चाहे सड़क-निर्माण की बात हो, ड्रिंकिंग वाटर की बात हो, किसी न किसी रूप में शुरू से रही है। उसके बाद फिर केन्द्र की सरकार की कुदृष्टि लगती रही है। यह कहा कि अर्जुन मुंडा की सरकार अस्थिर हो गई थी और उन्होंने महामहिम को जा कर कहा कि यहां सरकार अस्थिर हो गई है। इसके साथ-साथ अर्जुन मुंडा जी ने कैबिनेट में इस विषय को पास कराया कि अखिलम्ब झारखंड में विधानसभा भंग करके वहां चुनाव कराए जाएं। महोदय, अस्थिर तो केंद्र सरकार भी रही है। वर्ष 1996 से 2004 तक हम लोगों ने चार बार लोकसभा का चुनाव लड़ा है। यह झारखंड का दुर्भाग्य है कि जिस नीति से राज्य का निर्माण प्रधानमंत्री अटल जी ने किया, वह पूर्ण रूप से सरजमीं पर नहीं उतर पाई। चूंकि इस राज्य पर बराबर केंद्र सरकार की कुदृष्टि रही और किसी न किसी रूप में जैसे सोने का मृग होता है, उसे दिखाता कर और समय-समय पर झारखंड मुक्ति मोर्चे के लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करके समर्थन वापिस लेने का काम किया। आज झारखंड का **वैए!**** बना हुआ है।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : सिर्फ माननीय सदस्य का भाषण रिकार्ड में जाएगा।

...**(व्यवधान) ***

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): महोदय, आपको ताज्जुब होगा कि अगर झारखंड की सरकार अस्थिर रही, तो झारखंड में **वैए!**.** झारखंड से चले गए। जो उनके एडवाइजर थे, उन पर सीबीआई की एफआईआर हुई और इन्व्वायरी सेटअप हुई तथा अलग-अलग तरह से जैसा हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था कि राज्यपाल का जो भवन होता है, वह पवित्र स्थान होता है। पुराने जमाने के लोग किसी को कटाक्ष करते हुए कहा करते थे कि क्या कहीं के लार्ड गवर्नर हो। मतलब गवर्नर की पदवी सबसे ऊंची मानी जाती थी। आप देख सकते हैं कि आज गवर्नर साहब का आवास किस परिस्थिति में है। आज वहां विधानसभा को सरपेंड करके रखा गया है। मतलब सरकार है, विधायक हैं लेकिन हम झड़वर बने हुए हैं तथा हम ही गाड़ी चलाएंगे। बाकी लोग पीछे सीट पर बैठे रहें। आप चुनाव

कराएं और आपको पूर्ण बहुमत मिले। जो झारखंड की जनता का जनादेश हो उसके अनुरूप सरकार बने, चाहे जिसकी सरकार बने। हम झारखंड की जनता को आग्रहपूर्वक कहना चाहेंगे कि जिसे आप पूर्ण बहुमत दे, उसी की सरकार बननी चाहिए।

14.00 hrs

जब राज्य का निर्माण हुआ तो झारखंड राज्य के निर्माण के शुरुआती दौर में हमें उग्रवाद मिला, अस्थिरता मिली चाहे वह छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में विधान सभा की सीट बढ़ी हो लेकिन झारखंड की 81 सीट रहीं और जो काम डवलपमेंट का करना था, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि झारखंड से बीपीएल परिवार का सर्वे करके दो दो बार दिल्ली आए और दोनों बार यह कहकर वापस किया गया कि इतने गरीब कहां से बढ़ गए हैं? सवाल यह है कि जनगणना घर से लेकर सारे चीजों की होती है और उस पर गरीबों की संख्या बढ़े तो आप अपने स्तर पर जांच करवाइए लेकिन वह जांच नहीं करवाई गई।

झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर नया बीपीएल सर्वे अभी तक लागू नहीं किया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। जहां तक जांच का सवाल है, वहां इस इंटरजार में लोग हैं कि मधुकौड़ा जी का कोई अगर छोटा भाई मिल जाए तो हम लोग उसको मुख्य मंत्री बनाकर पूरे झारखंड का उसी तरह से चीरहरण कर लेंगे, जैसे महाभारत में द्रौपदी का हुआ था।

आज चाहे राज्य सभा का हॉर्सट्रैडिंग का मामला हो, चाहे वह कोयला खदान के आबंटन का मामला हो। लोग कहते हैं कि यहां से बड़े बड़े नेता लोग झारखंड में जाकर कहते हैं कि मुख्य मंत्री अर्जुन मुंडा के समय में यह आबंटन हुआ। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर अर्जुन मुंडा के समय में कुछ हुआ है तो केन्द्र में आपकी सरकार है, सीबीआई, विजिलेंस आपका है, आप जांच करवाइए। कहीं कोई कठिनाई की बात नहीं है। ...(व्यवधान) डा. साहब, आप शांति से रहिए। आप नये नये आए हैं। ये आईपीएस रहे हैं तो इनको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। जिस राज्य से हम आते हैं, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि झंडा फहराने के अधिकार तक जो काम मुखिया का है, केंद्र से मंत्री जाते हैं, मुखिया से झंडा नहीं फहराते हैं, अपने स्कूल में जाकर झंडा फहराते हैं। फटफटिया पर चलते हैं, मोटरसाइकिल पर चलते हैं और फोटो खिंचवाते हैं कि सारा विकास हमने ही कर दिया है। जहां हमारा क्षेत्र है वहां के बारे में जब हम लिखकर देते हैं तो वहां लाल धागा लगा रहता है कि यहां का काम नहीं करना है।

सभापति महोदय, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दो एडवाइजर हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि वे खराब व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जहां इतने पदाधिकारी हैं, वहां दो एडवाइजर उस राज्य की साढ़े तीन करोड़ जनता को कैसे संभालेंगे। आप समझ सकते हैं कि जो पदाधिकारी हैं, आज सारे बेलगाम हो गए हैं। आम जनता के हित, डेवलपमेंट की बात जनप्रतिनिधि कर सकते हैं। अधिकारी का काम इम्प्लीमेंट करना है। एमएलए, एमपी रिजाइन करें और बन जाएं, आम जनता चुनेगी यह अलग विषय है। लेकिन डेवलपमेंट की बात वहां के विधायक, सांसद, सरपंच करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Please conclude. You will get time to speak on the General Budget also.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : झारखंड गरीब राज्य है। यहां फंड का खर्च नहीं होता है। हमारे यहां रुकावट लगा देते हैं। जबदस्ती किसी का पैसा छीनकर पाकेट में तो नहीं रख लेना है कि आप अपनी पॉकेट में रख लें। आप देखें, जेपीएससी का घोटाला हुआ। इसकी सीबीआई जांच करे और जो लोग इन्वाल्ड हैं, उनका पर्दाफाश करे। आज राज्य सभा के चुनाव में होर्स ट्रेडिंग का मामला हुआ। अगर उसकी ईमानदारी से जांच हो जाए तो कम से कम 30 एमएलए जेल की हवा खाएंगे। आप समझ सकते हैं। इसकी जांच नहीं हो रही है। वहां भी लोगों ने अड़ंगा लगाया है। जब मन में आता है जेल से छुड़ते हैं और डलवा देते हैं। झारखंड में यही चल रहा है। चाहे राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना हो, डिंकिंग वाटर की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, राशन कार्ड की बात हो, अनाज आबंटन की बात हो, एपीडीपी खाद आबंटन की बात हो या इरीगेशन की बात हो, आज की तारीख में कहीं से भी केंद्र से जो सपोर्ट मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है।

हमारा आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से आग्रह है कि जितनी जल्दी हो सके झारखंड में चुनी हुई सरकार बने, पूर्ण बहुमत की सरकार बने। मैं राष्ट्रपति शासन का विरोध करता हूँ।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। महामहिम राज्यपाल की झारखंड रिपोर्ट में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। इसकी संवैधानिक बाधयता है कि इस सदन में छः महीने के अंदर अगर संसद पुष्टि नहीं करता है तो संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। रवीन्द्र पाण्डेय, बहुत जिम्मेदारी संसद सदस्य हैं। वे जानते हैं कि सदन के सामने बहुत ही औपचारिक विषय आया है। इस पर कोई बहस भी नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि सदन को सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए। अगर झारखंड में राष्ट्रपति शासन की पुष्टि नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर वहां का बजट भी पारित नहीं होगा जिससे वहां कार्यरत कर्मचारियों के वेतन का संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा और विकास की संभावनाएं रुक जाएंगी।

महोदय, मैं समझता हूँ कि सदन का संवैधानिक दायित्व है कि वह इसे पास करे। माननीय सदस्य ने कहा कि जिस समय झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था तब पूरे देश को इस बात की पूसन्नता थी कि झारखंड अलग हुआ है और अब इसका विकास बहुत तेजी से होगा। झारखंड सरप्लस स्टेट था। यह कोल, मिनरल्स, खनिज पदार्थों की दृष्टि से सबसे अच्छा राज्य था। इसमें कोई बहस नहीं हो सकती है, एक-दूसरे की आलोचना नहीं हो सकती है। झारखंड सबसे ज्यादा खनिज पदार्थों का राज्य है, इसके गर्भ में इतना भंडार है कि अगर इसे ढंग से एक्पलोर करें तो न सिर्फ झारखंड का विकास कर सकते हैं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान की इकनोमी मजबूत हो सकती है। मैं समझता हूँ इस पर अलग से बहस होनी चाहिए। महोदय, वर्ष 2000 में झारखंड का गठन हुआ। वहां तब से कांग्रेस पार्टी ने सरकार नहीं बनाई। आज 2013 है, मात्र 12 साल में ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Do not interrupt. You speak when your turn comes.

श्री जगदम्बिका पाल : निश्चित तौर से जिसका नाम आपने लिया, चाहे वह मधु कौड़ा हों, चाहे अर्जुन मुंडा जी हों या अन्य कोई मुख्य मंत्री हो, वे सब भारतीय पार्टी के ही लोग थे और आज अगर आप वहां किसी को गुनाहगार ठहराते हैं तो यह आपके ही गुनाहों की कोख से पैदावार है, उस झारखंड के जो भी मुख्य मंत्री हुए। मैं

कहना चाहता हूँ कि 2000 से 2013 तक मात्र 12 साल में 8 बार सरकार बन चुकी है। इस अस्थिरता के लिए जिम्मेदार कौन है? ...**(व्यवधान)** पांडेय जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मैं सुन रहा था कि पांडे जी क्या कहेंगे और निशिकांत जी क्या कहेंगे। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ जो आक्षेप हो। 2000 से 2013 में अगर आठ बार सरकार बनी तो इस पूजातंत्र में हम जवाबदेह हैं, जनता के प्रति हम उत्तरदायी हैं। जनता की कसौटी पर कहीं न कहीं हमारी जवाबदेही बनती है कि जहां पांच सालों के लिए सरकारें निर्वाचित होती हैं, उन पांच सालों के लिए शायद अगर सरकार चलती तो अभी तक केवल ढाई सरकार होती और ढाई सरकार की जगह पर अब तक आठ सरकारें बन चुकी हैं। जब 2009 में चुनाव हुआ तो उस समय किसकी सरकार बनी, शिवू सोरेन जी की सरकार बनी और उसमें भारतीय जनता पार्टी की मिली-जुली सरकार थी। शिवू सोरेन जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें कांग्रेस नहीं थी। आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर था। मैं कहता हूँ कि 2009 में अगर आपने शिवू सोरेन के साथ मिली-जुली सरकार बनाई, आपके उप-मुख्य मंत्री थे, वह मुख्य मंत्री थे तो 2009 से 2014 तक अगर वह सरकार नहीं चली तो इस सदन के माध्यम से देश की जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा कि शिवू सोरेन की सरकार आपने क्यों गिराई और सरकार गिराने का कारण यह था कि हम शिवू सोरेन की सरकार को गिराएँ और किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनायें। अगर पार्टी विद ए डिफरेंस है, दूसरी पार्टियों से आपकी कार्य संस्कृति भिन्न है। आप अपने चाल, चरित्र और चेहरे की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा इस देश के सामने बहुत सुंदर है तो क्या आपका यही चाल, चेहरा और चरित्र है, जो बेनकाब हो रहे हैं। वे आपके पार्टनर थे, आप उनके साथ मिली-जुली सरकार में थे, आपका गठबंधन था। लेकिन शिवू सोरेन जी को आप मुख्य मंत्री के रूप में बर्दाश्त नहीं कर पाये और उनकी सरकार को गिरा दिया और 2011 में आपने अपनी सरकार बनाई और शिवू सोरेन साहब के लड़के को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। आखिर इसके पीछे क्या प्रयोजन होगा कि हम किसी तरह से सत्ता में आयेँ और सत्ता का सुख लें। आप कहते हैं कि जांच करा लीजिए, हम जांच की बात नहीं करते कि अर्जुन मुंडा जी की जांच करा लीजिए। लेकिन रवीन्द्र पांडेय जी आप उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री सुबोध कांत सहाय (रांची): आप जांच कराने का समर्थन क्यों नहीं करते हैं?

श्री जगदम्बिका पाल : मैं कह रहा हूँ कि 125 एमओयू साइन हुए। आपकी सरकार ने 125 मेमोरेण्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कारपोरेट हाउसेस से मिनिस्टर्स और खनिज निकालने के लिए साइन किये। वे किसकी जमीनें थीं, वे आदिवासियों की जमीनें थीं। परम्परागत उनके बाप-दादाओं, उनके पुरखों की जमीनें थीं और उनसे उनकी जमीनों को लेकर आपने कारपोरेट हाउसेस को दे दिया। उस झारखंड की जनता आपको देख रही है कि हमारे आदिवासियों की जमीनें, उन परम्परागत रहने वाले लोगों की जमीनों को आपने हिंदुस्तान के उन तमाम बड़े घरानों को दे दिया। इसका जवाब आपको 2014 के चुनाव में देना पड़ेगा कि आखिर कौन से कारण थे कि जिन पर झारखंडियों का स्वामित्व था, आदिवासियों का था, उनकी जमीनों को आपने दूसरों को दे दिया। उसके बाद आपने सरकार बनाई। आज भी आपकी सरकार चलती। आपने शिवू सोरेन की सरकार को गिरा दिया। अर्जुन मुंडा जी की सरकार चलती। लेकिन आपका अहंकार नहीं गया। जो हम लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि 36 महीने हैं, 18 महीने आपने सरकार चला ली, अब 18 महीने हम सरकार चलायेंगे। आप उनके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन आपने उनकी सत्ता को गिरा दिया फिर आपने सत्ता बनाई। अब अगर वे मांग कर रहे हैं कि 18 महीने आपने मुख्य मंत्री के रूप में माल काट लिया तो अब 18 महीने अगर हम सरकार चलाना चाहते हैं, इसलिए हमें भी चलाने दीजिए तो आपसे वह बर्दाश्त नहीं हुआ। निश्चित तौर से अगर आज झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा है तो यह भारतीय जनता पार्टी के अहंकार के कारण लगा है और कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। एक बार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। उस झारखण्ड में पांच-पांच बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पांच बार राष्ट्रपति शासन लगने का जिम्मेदार कौन है? हमारी जिम्मेदारी है कि हम केंद्र में हैं तो झारखण्ड का हित पर कुठाराघात न हो। झारखण्ड के हितों पर आप जो कुठाराघात कर रहे हैं, उनके हितों की रक्षा करने का दायित्व हम पर है। हम केंद्र में बैठे हैं और यह देखेंगे कि झारखण्ड का विकास न रुके। झारखण्ड का वेतन न रुके। हमने बजट दिया है चाहे सर्वशिक्षा अभियान में दिया है, चाहे एनआरएचएम में दिया है। आपने कभी उस झारखण्ड को बनाने के बारे में सोचा? आपको कितनी बार मौका मिला। बाबू लाल मरांडी जी थे, अच्छा-भला दो साल आपकी सरकार चलाई। कौन-सी राजनीति थी? कौन सा अंतर्कलह था, एक अच्छे मुख्य मंत्री के रूप में उनकी गणना थी, उनको आपने भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया। ...**(व्यवधान)** मैं एक बात स्पष्ट तौर से कह देना चाहता हूँ कि हमने कभी झारखण्ड में मिल कर के आचाराम-गयाराम की सरकार बनाने का प्रयास नहीं किया। हम भी चाहते तो सरकार बना सकते थे। आज इस बात की कोशिश करें तो शायद कांग्रेस झारखण्ड में एक स्थिर सरकार दे सकती है। इसके बावजूद भी हमने तो आपको बार-बार मौका दिया। लेकिन अब यह साबित हो गया कि झारखण्ड की जनता ने सन् 2000 से 2013 तक जितनी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मौका दिया है, वह जनता की कसौटी पर असफल हुई है। अब कभी भी भविष्य में भाजपा सरकार नहीं बना सकती है और न कभी स्थिर सरकार दे सकती है। यह इस राष्ट्रपति शासन से मालूम हो गया है। जब झारखण्ड की जनता को आप एक स्थिर सरकार नहीं दे रहे हैं, हमने बीच में कोई अड़ंगा भी नहीं डाला, हम चाहते तो हम इस बात के लिए प्रयास करते कि आप सरकार न बना सकें। आपने सरकार बनाई। हमने सरकार को हर तरह से सहयोग किया। केंद्र ने आर्थिक सहयोग दिया कि ज्यादा से ज्यादा बजट मिले। इतने सालों बाद पंचायती राज के चुनाव हुए, हमने उसके लिए पैसा दिया। उसके बाद एनआरएचएम में पैसा दिया। सर्वशिक्षा अभियान में पैसा दिया। राजीव गांधी ग्रामीणी विद्युतिकरण योजना में पैसा दिया। ...**(व्यवधान)** अब अगर उस पैसे को खर्च न कर पाएं। ...**(व्यवधान)**

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR, H.P.): Sir, he is referring to every State...**(Interruptions)**

श्री जगदम्बिका पाल : अनुराग जी, वहां पर भी तो दिया है। ...**(व्यवधान)**

MR. CHAIRMAN: Please, no cross talks like this. This is not the way we discuss. Please take your seat.

...**(Interruptions)**

MR. CHAIRMAN: This will not go in record.

(Interruptions) â€¦*

श्री जगदम्बिका पाल: महोदय, मैं समझता हूँ कि मैं जो बात कह रहा हूँ यह झारखण्ड की जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी मुझे टोकने से अपने गुनाहों को छुपा नहीं पाएगी। झारखण्ड में जो बदनुमा दाग लगा है, वह वहां है। आज झारखण्ड में राष्ट्रपति शासन है। वे कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन क्यों लग गया? विधानसभा भंग करनी चाहिए। यदि विधानसभा भंग करनी जाए तो यह लोकतंत्र को कमजोर करने वाला कदम होगा या लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम होगा? जब चाहते हैं कोई बात कभी एक पैरामीटर में करेंगे। जब इनको सूट करेगी तो दूसरे पैरामीटर में करेंगे। आज हमारा प्रयास है कि एक बार यदि कोई विधान सभा या लोक सभा लोकतांत्रिक ढंग से जनता के द्वारा चुनी गई है तो वह जनता के प्रति पांच साल के लिए उत्तरदायी रहे, पांच साल के लिए जनता के प्रति जवाबदेह रहे। कांग्रेस-यूपीए की यह मंशा है। हम यह नहीं चाहते हैं कि आज वहां विधान सभा भंग हो जाए। कौन सी गारंटी है कि फिर ढंग असेंबली न आ

जाए? फिर आप कहेंगे कि दोबारा मध्यावधि चुनाव कराए जाएं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे गृह मंत्री जी, जो प्रस्ताव लाए हैं, सदन को इसे सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए। इस बात के लिए कहना चाहिए कि वहां पर निश्चित तौर से सरकार बने। आज विधान सभा के जो विधायक चुने गए हैं, अभी बिहार में एक बार विधान सभा बनी थी, आपने देखा कि डेढ़ महीने बाद वहां दोबारा चुनाव हुए। कितना किट्टिसिज्म हुआ। अगर आज वहां पर विधान सभा है। अगर आज वहां के विधायक हैं तो उनका कौन सा गुनाह है? वहां की जनता ने उनको पांच साल के चुनाव है। हमें जनता ने पांच साल के लिए लोक सभा के लिए चुनाव है। अब अगर ये सरकार नहीं चला पाते हैं, अपने गठबंधन के साथ अच्छा धर्म नहीं निभा पाते हैं, गठबंधन को विश्वास में ले कर परस्पर सहमति के साथ समझदारी से नहीं चल पाते हैं तो अपनी नाकामयाबी और अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए झारखण्ड की जनता के ऊपर कुठाराघात क्यों करें? अपनी नाकामियों को, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए उस झारखण्ड की जनता के ऊपर क्यों कुठाराघात करें, झारखण्ड की जनता के साथ विश्वासघात क्यों हो?

महोदय, मैं चाहता हूँ कि इसे सर्वसम्मति से पास किया जाये।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, हमारे माननीय नेता सदन श्री सुशील कुमार शिंदे जी झारखण्ड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अधीन 18 जनवरी, 2013 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा के अनुमोदन के लिए जो संकल्प लाये हैं, हम उसका समर्थन करने के लिए खड़े हुए हैं। चूंकि यह संविधानिक संकट का चर्चा है, यह देखा गया है कि पुराना बिहार प्रदेश जैसे भी बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य रहा है। उसके बाद झारखण्ड राज्य 15 नवम्बर 2000 को बना। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है, कई बार इस सदन में चर्चा भी हुई कि जो गरीब और पिछड़े हुए राज्य हैं, उन्हें विशेष दर्जा देकर वहां का विकास हो और उन राज्यों को बढ़ावा दिया जाये। एक तरीके से देखा जाये तो राजनीतिक अस्थिरता के कारण झारखण्ड में बराबर सत्ता परिवर्तन हुआ और राष्ट्रपति शासन लगा है। यह झारखण्ड का दुर्भाग्य ही रहा है।... (व्यवधान) यह देखा गया है कि प्राकृतिक सम्पदा वहां पर इतनी जबरदस्त है कि मेरे ख्याल से देश की आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा योगदान झारखण्ड प्रदेश कर सकता है। महोदय, यह भी देखा गया है कि अब तक जो भी वहां पर ज्यादातर मुख्यमंत्री रहे हैं, वे आदिवासी रहे हैं, चूंकि वह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भी है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि जब किसी आदिवासी को या अनुसूचित जाति वर्ग के किसी व्यक्ति को इस प्रकार का मौका मिलता है कि वह बागडोर संभाले तो उसको चलने नहीं दिया जाता है।... (व्यवधान) मैं दोनों तरफ की बात करना चाहूंगा।... (व्यवधान) आपने उत्तर प्रदेश के बारे में कहा है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हमेशा उसे अस्थिर करने की कोशिश की जाती है, यह उसका मुख्य कारण रहा है। पाल साहब ने बड़े विस्तार से इस बात को बताया है, मैं डिटेल् में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन देखा गया है कि पूजातंत्र और लोकतंत्र में जो चुनी हुई सरकार होती है, उससे जनता को बहुत अपेक्षाएं और उम्मीदें रहती हैं। आज वहां पर जो गरीब और आदिवासी हैं, हर तरीके से दबे-कुचले लोगों के उत्थान के लिए कोई ऐसी कार्य योजना या विशेष दर्जा, विशेष पैकेज नहीं दिया गया, जिसके कारण वह राज्य पिछड़ा रहा, जबकि प्राकृतिक सम्पदा वहां पर है। अगर वहां निवेश किया जाये तो मेरे ख्याल से भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो सकती है। हमने देखा कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रपति शासन लगा। राष्ट्रपति शासन में हमारी यह कोशिश होनी चाहिए, भारतीय संविधान और लोकतंत्र में यह है कि चुनी हुई सरकार हो और अगर चुनी हुई सरकार चलती है तो मेरे ख्याल से जनता को राहत महसूस होती है, जनता का विकास होता है और उस क्षेत्र का विकास होता है। जब तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा रहता है, वहां पर नौकरशाही होती है, ऑफिसर्स काम करते हैं, अधिकारी काम करते हैं। जैसे भी नौकरशाही बहुत ही हावी रहती है और राष्ट्रपति शासन में नौकरशाही को जब बागडोर संभालनी पड़ती है तो आम जनता विकास के रास्ते से, अपने उत्थान से काफी उन्मुख होती है, विकास से दूर रहती है और उसका विकास नहीं हो पाता है। मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा कि ठीक है कि अगर यह संसद अनुमोदन कर रही है तो जल्दी से जल्दी वहां पर चुनाव कराये जाएं। मैं तो चाहूंगा कि लोक सभा के चुनाव के साथ न करके बल्कि लोक सभा चुनाव के पहले ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वहां पर पुनः चुनाव हों और वहां पर चुनी हुई सरकार बने ताकि वहां जो मुख्यमंत्री बनें, वे उस राज्य का विकास कर सकें।

अब लोगों की कोशिश है, मैं जानता हूँ कि कांग्रेस की भी सरकार भारतवर्ष में रही है। रवीन्द्र भाई ने राज्यपाल पर टिप्पणी की, जबकि महामहिम राज्यपाल का जो पद होता है, उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। आपकी भी सरकार रही, आपने भी विभिन्न राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की, उनसे अपेक्षाएँ कीं। चूंकि वे संवैधानिक पद होते हैं, इसलिए किसी भी राज्यपाल पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति या महामहिम राज्यपाल की नियुक्ति संवैधानिक पद होता है, लेकिन यह बात सत्य है कि विपक्ष में जो लोग रहते हैं, जिनकी बात नहीं मानी जाती, उनके द्वारा महामहिम राज्यपाल पर हमेशा एक प्रश्नाचक्र चिह्न लगाया जाता रहा है कि जिसकी केन्द्र में सरकार होती है, राष्ट्रपति होता है, उसके कहने पर काम होता है। इस प्रकार की टिप्पणी लगाना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा।

मैं ज्यादा कुछ न कहकर इतनी ही मांग करता हूँ और माननीय शिन्दे जी से कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति शासन बहुत अच्छा नहीं होता है। हम लोगों का अनुभव रहा है और मैं चाहता हूँ कि वहाँ जल्दी से जल्दी चुनाव कराकर वहां जनता की चुनी हुई सरकार बने ताकि क्षेत्र का विकास हो और लोगों का उत्थान हो सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

डॉ. बलीराम (लातगंज): माननीय सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। झारखंड में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बाद माननीय नेता सदन उसके अनुमोदन के लिए जो प्रस्ताव लाए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ। 15 नवंबर, 2000 को जब बिहार और झारखंड अलग हुए, तो बिहार में भी लोग इस बात को लेकर चिन्तित हुए कि जो सबसे मूल्यवान ज़मीन थी, वह झारखंड में चली गई। झारखंड में जितनी प्राकृतिक संपदा है, उतनी अब बिहार में नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि प्राकृतिक रूप से तो झारखंड सबसे मज़बूत है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी भी झारखंड में है और उस गरीबी के साथ साथ वहाँ आदिवासियों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न भी होता है। संविधान में यह व्यवस्था है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की जो ज़मीनें हैं, उनको किसी दूसरे को बेचा नहीं जा सकता है। अगर बेचा जाए तो उसकी बाकायदा परमीशन लेनी चाहिए। लेकिन जब वहाँ मुंडा जी की सरकार थी तो उस समय मुंडा जी ने एक अमैन्डमेंट कर दिया था कि अनुसूचित जनजाति की ज़मीनें बेची जा सकती हैं। इसका परिणाम यह निकला कि उनकी ज़मीनें पूँजीपतियों को भी बेच दी गईं।... (व्यवधान) इसलिए इस तरह का जो अमैन्डमेंट हुआ है, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए ताकि गरीबों की ज़मीनें बेची न जा सकें। इसी के साथ-साथ मैं कहना चाहता हूँ कि सचमुच में जो राष्ट्रपति शासन है, वह दुखदायी तो होता है और इसमें ब्यूरोक्रेसी ही राज करती है। जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें

जनता चुनकर भेजती है, उसमें जन-प्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जाती है और आम जनता उससे प्रभावित होती है, डैवलपमेंट भी प्रभावित होता है। इसलिए हम सदन के नेता और गृह मंत्री जी से यह आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर लोकतंत्र की बहाली हो, वहाँ चुनाव हो जिससे जनता की समस्याओं का निदान हो सके और उस प्रदेश का डैवलपमेंट हो सके। मैं यह चाहूँगा कि यह जल्दी वहाँ हो। अभी पाण्डे जी कह रहे थे कि वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, पेयजल और सड़क निर्माण प्रभावित हो रहा है। झारखण्ड में गरीबी इतनी बढ़ गयी है कि झारखण्ड के लोग सीजन में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं और सीजन के समय में चाहे धनकटनी का मामला हो या गेहूँकटनी का मामला हो या रोपाई का सीजन हो, ऐसे समय में वे भाग कर चले आते हैं और सीजन खत्म होने के बाद फिर अपने प्रदेश में वापिस आ जाते हैं। यह भी सही है कि झारखण्ड बनने के बाद वहाँ जितने मुख्यमंत्री बने, वह सब आदिवासी ही बने। कभी इधर की सरकार रही और कभी इधर के सहयोग से वहाँ सरकार बनी। लोगों को यह मैसेज देना शुरू किया कि आदिवासी व्यक्ति सरकार नहीं चला सके, इसीलिए समय-समय पर ये वहाँ सरकारों को गिराते रहे। आदिवासी लोग सरकार चलाने में सक्षम नहीं हैं, यह संदेश वे लोगों को देना चाहते हैं। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उनको मौका दिया जाए, तो आदिवासी व्यक्ति भी सरकार चलाने में सक्षम हो सकता है। यह सुराफात की जाती है और यह संदेश देते हैं कि आदिवासी सरकार नहीं चला सकते हैं। इसलिए हम यह चाहते हैं कि वहाँ चुनाव कराया जाए और निश्चित रूप से वहाँ आदिवासी की सरकार बनेगी और अब की बार पूर्ण बहुमत से बनेगी तथा वह पूरे पांच साल तक सरकार चलाएंगे। इससे वहाँ के गरीबों का कल्याण होगा, भला होगा।

महोदय, हम नेता सदन से चाहेंगे, गृह मंत्री जी से चाहेंगे कि वहाँ लोकतंत्र की बहाली हो। वहाँ जल्दी चुनाव कराए जाएं। अंत में मैं आप जो प्रस्ताव लाए हैं, उसका समर्थन करता हूँ।

श्री भूदेव चौधरी (जमुई): सभापति महोदय, आपने झारखंड के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदय, सबसे पहले मैं आपको अतीत की ओर ले जाना चाहता हूँ। झारखंड बिहार का ही महत्वपूर्ण अंग रहा है। 14 नवम्बर, 2002 को बिहार का बंटवारा हुआ और झारखंड राज्य के नाम से एक नए राज्य की स्थापना हुई। आजादी के दिनों में भी जब जंगे आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई थी, तब तिलका मांडी, विरसा मुंडा जैसे शहीदों ने अपनी शहीदी दी और अपना जत्था कायम किया और जंगे आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका अदा की। आजादी के बाद भी जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में झारखंड बनाने की कल्पना शुरू हुई और तब से कभी झारखंड मुक्ति मोर्चे की ओर से और कभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से अलग राज्य बनाने की मांग होती रही।

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब अखंड बिहार था, उसी बिहार से इस देश को चलाने के लिए आधी दौलत आती थी। आज भी झारखंड में जितनी खनिज सम्पदा है जैसे कोयला है, लोहा है, अभ्रक है, तांबा है शायद देश के किसी दूसरे राज्य में नहीं है। झारखंड और बिहार की इस खनिज सम्पदा से देश के दूसरे राज्य विकसित हो गए। लेकिन झारखंड और बिहार की जो स्थिति थी, उसी स्थिति में बिहार खड़ा रहा, झारखंड खड़ा रहा। मुझे दुःख होता है। मैं भारी मन से कह सकता हूँ कि जिस विषय की चर्चा झारखंड की विधान सभा में होना चाहिए था वह आज संसद भवन में हो रहा है। यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र की पद्धति के अनुसार वहाँ पर जो राष्ट्रपति शासन लगा है, उस के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर इस प्रजातंत्र में जो प्रजा की अपेक्षा है, जो प्रजा की आकांक्षा है, उस में राष्ट्रपति शासन से उन को अपेक्षित और आकांक्षित फायदा नहीं हो सकता है।

महोदय, यह दुर्भाग्य है कि झारखंड सबसे पिछड़ा राज्य है। झारखंड में आज भी 62 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। आज भी वहाँ के 70 प्रतिशत गांवों में शौचालय नहीं हैं। आज भी वहाँ की मां-बहनें सड़कों के किनारे, तालाब के किनारे, नदियों के किनारे शौच करने जाती हैं।

मैं शिक्षा के संबंध में बताना चाहता हूँ। वहाँ की स्थिति काफी जर्जर है। विद्यालय भवन चरमरा गए हैं। दीवारें फटी पड़ी हैं। शुद्ध पेयजल नहीं मिलता है। शुद्ध हवा भी नहीं मिल पाती।

महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि झारखंड निश्चित तौर पर एक गरीब राज्य है और गरीबों को बड़ी अपेक्षा रहती है। जब वहाँ पांच बार मुख्यमंत्री बने, पांच बार राष्ट्रपति शासन लगे तो लोग हताश और निराश हो चुके हैं। झारखंड में आज भी दौलत है। झारखंड में आज भी खनिज संपदा है लेकिन केन्द्र सरकार की दोहरी नीति के चलते, केन्द्र सरकार के सौतेले व्यवहार के चलते वहाँ का अपेक्षित विकास नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ-

छेड़ने से मुख भी वाचल हो जाता है, टूटने से शीशा भी काल हो जाता है,

इस तरह गरीब राज्य को मत छेड़ा करो, वरना जलने से कोयला भी लाल हो जाता है।

सभापति महोदय, मैं केन्द्र सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा, विनम्र पूर्वक प्रार्थना करना चाहूँगा, सदन के नेता और गृह मंत्री से यह आग्रह करना चाहूँगा कि लोकतंत्र जिन्दा रहे, लोकतंत्र की पद्धति जिन्दा रहे और लोकतंत्र की पद्धति के मुताबिक जो राज्य की गरिमा है, मर्यादा है, आदर्श है, उन्हें अक्षुण्ण रखने में आप अहम भूमिका अदा करें और वहाँ राष्ट्रपति शासन को हटा कर लोकतंत्र के स्तर से चुनाव कराएं ताकि लोगों को अपने अधिकार और हक मिल सकें।

MR. CHAIRMAN: We are discussing only the Statutory Resolution on Approval of Proclamation of President's Rule in Jharkhand. The Budget is yet to come. If all hon. Members agree, we will conclude the discussion here. Jharkhand Budget is still coming. We will allow hon. Members from Jharkhand alone to speak and then we will wind up.

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर): आदरणीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आप को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं यहाँ से बोलने के लिए आप से अनुमति चाहता हूँ।

महोदय, गृह मंत्री महोदय ने कहा था कि There is a break down of constitutional machinery in the State. इसलिए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। हम

सभी लोग गृह मंत्री महोदय से सहमत हैं लेकिन चिंता की बात तब होती है यदि गृह मंत्री महोदय का आप स्टेटमेंट पढ़ने तो गृह मंत्री ने अंग्रेजी में कहा था - 'at least for the time being'. जब इस time being शब्द का इस्तेमाल होता है तो झारखंड में सभी लोगों को चिंता रहती है कि फिर से सरकार गठित करने में पैसे का इस्तेमाल होगा और सीबीआई का इस्तेमाल होगा।

मैं गृह मंत्री महोदय से पहले तो यह अनुरोध करूंगा कि झारखंड पहले से ही इस चीज़ में बदनाम है। वर्तमान स्थिति में किसी भी पार्टी द्वारा सरकार बनाना असंभव है। यह स्पष्ट है कि फिर से चुनाव करने की आवश्यकता है। जहां तक राष्ट्रपति शासन की बात है, जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो तीन-चार कमेटियां गठित की गयीं। उस में से एक कमेटी कोयला और खान के संबंधित प्रस्तावों को निष्पादित करने के लिए गठित की गयी। इस से स्पष्ट होता है कि जैसे ही झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ then a committee is formed to discuss cases pending on coal and mineral issues. जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो झारखंड की जनता को यह डर लग रहा है कि अगर हम लोग इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो झारखंड में फिर से भ्रष्टाचार शुरू होगा। राष्ट्रपति शासन के नाम पर कोयला, आयरन ओर माइनिंग बॉर्क्स के आवंटन होंगे। आप को तो मालूम होगा। अगर आप थोड़ा संक्षेप में भी देखेंगे तो झारखंड में कैश फोर वोट स्कैम, सीड स्कैम, लैंड स्कैम, रेंजल्टी स्कैम, माइनिंग स्कैम, रूरल रोड्स स्कैम इत्यादि अनेक स्कैम्स हैं।

जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं तो हमें थोड़ा सा ताज्जुब इसलिए होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा समय उन्ही का शासन चला और सबसे ज्यादा स्कैम उनके समय में भी हुए। झारखंड पर सभी लोग यह चर्चा कर रहे हैं कि वर्तमान में सरकार के कुछ लोग एक और ₹₹/ * की खोज में हैं, ये आम जनता की चर्चा का विषय है। हरेक गांव में, हरेक जगह जाइए, ये लोग खोज रहे हैं, क्योंकि सरकार के जितने भी संबंधित लोग हैं, वे लगातार दिल्ली एवं हर जगह आकर सरकार बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। झारखंड में यह आम चर्चा है कि एक और ₹₹/ * की खोज की जाए। एक चीज है कि ₹₹/ * के समय में जो स्कैम है, चार हजार करोड़ के आसपास लोग कहते हैं। कांग्रेस के साथी लोगों को यह कहना चाहेंगे कि चार हजार करोड़ का अगर स्कैम होगा तो बिना वहां की सरकार के संबंधित लोगों की जानकारी के नहीं हो सकता था।

इसलिए आपसे अनुरोध है कि किसी तरह से, किसी हालत में वहां पर सरकार गठित करने का प्रयास न किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलेंगे तो मैं यही कहूंगा कि उनकी अर्जुन मुंडा जी की सरकार में सबसे ज्यादा एलियेशन ऑफ लैंड अगर आदिवासियों का हुआ है तो उनके मुख्य मंत्री महोदय के समय में हुआ है। हम ये भी जानना चाहेंगे। एक इंटरस्टिंग तरीका झारखंड में हुआ। जब भी सरकार आती है, एक महत्वपूर्ण बात होती है। शेड्यूल-5 इलाके में आप पब्लिक सैक्टर को छोड़ कर किसी को कोल या आयरन-ओर लैंड नहीं दे सकते। इन लोगों ने एक्सेस लेवल तक कर दिया, पब्लिक सैक्टर को आपने काँट्रिबूट दे दिया और उसमें ज्वाइंट वेंचर बना दिया। यह वहां के आदिवासी लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अभी स्टैंडिंग कमेटी ऑन एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट में शेड्यूल-5 के अमेंडमेंट के बारे में बात हो रही है। जिस दिन हम लोग शेड्यूल-5 को अमेंड करेंगे, वह सबसे खराब कानून वहां के आदिवासियों के लिए होगा।

मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूँ और चेतावनी भी इसलिए देना चाहूंगा कि अगर आप शेड्यूल-5 में आदिवासी लैंड का एलियेशन करेंगे तो बहुत खतरनाक चीज शुरू हो जाएगी। आपसे अनुरोध है कि स्टैंडिंग कमेटी में जो यह मामला पेंडिंग है, उस मामले में एक समता जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का था और समता जजमेंट को जो है, टू गो राउंड द समता जजमेंट एक अमेंडमेंट लिया गया है। आपसे अनुरोध है कि उसको रोका जाए। जब बजट का समय आएगा तो झारखंड के बारे में काफी चर्चा करेंगे, लेकिन इस समय आपको एक छोटा सा स्टेटिस्टिक बताना चाहेंगे। ऐसा प्रदेश है कि जहां पर 60 प्रतिशत से ऊपर बच्चे मेलन्यूट्रिशन हैं। 75 लाख लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं। 6.5 million people have been displaced in Jharkhand because coal mining and other projects. कोई अन्य स्टेट में यह बात नहीं हुई। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना बड़ा अन्याय इस स्टेट के साथ हुआ है। 65 लाख, उसमें से 70 प्रतिशत महिला दिल्ली, मुंबई सभी जगह काम कर रही हैं। यह कहानी आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। पूरे आजाद भारत में ये सबसे अफसोस जनक और दुखभरी कहानी है। 65 लाख किसी प्रदेश में नहीं है। हम दस हजार, दो हजार में इतना हल्ला करते लगते हैं। वहां के आदिवासी लोग 75 लाख हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि इस बात का ध्यान रखा जाए।

वहां राष्ट्रपति शासन चल रहा है, मैं इसलिए दो-तीन बातें कहना चाहता हूँ। एक श्री जेवियर डायस है और एक मिस बार्ता है। बीजेपी सरकार ने उनको बंद कर दिया था। आदिवासी हक को लड़ने के लिए वहां पर लैंड एक्वीजिशन हो रहा था। लगातार गरीब दोनों आदिवासी हक के लड़ने वाले के लिए सिविल राइट्स के लोगों के लिए, उन पर केस थोपे गए हैं। वहां पर राष्ट्रपति शासन चल रहा है, आपकी सरकार है, कम से कम ये केसेस तो विदरू हो जाएं, क्योंकि ये लोग आदिवासी हक के लिए लड़ रहे थे।

सर, आखिरी में मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही अनुरोध है कि कृपया किसी हालत में ऐसी सरकार न बनाई जाए, चुनाव हो जाएं। एक ₹₹/ * जैसे व्यक्ति को, आम जनता वहां पर जो चर्चा कर रही है, उसकी तलाश न की जाए। झारखंड के लिए जरूरी है कि एक लोकतांत्रिक सरकार वहां जल्दी से जल्दी गठित हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

श्री इन्दर सिंह नामधारी (चतरा): आदरणीय सभापति महोदय, मैं निर्दलीय होने के नाते बहुत कम बोलता हूँ, क्योंकि बोलने का समय बहुत कम मिलता है। यह मामला झारखंड का है और मैं झारखंड की धरती का हूँ। वहां की धरती ने मुझे यहां भेजा है।

MR. CHAIRMAN : Shri Inder Singh Namdhari Ji, you will get another opportunity when the Budget is presented. Therefore, you may please try to be brief.

SHRI INDER SINGH NAMDHARI : Sir, I will not speak about the Budget.

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): यह जेडीयू झारखंड स्टेट प्रेसीडेंट भी रह चुके हैं।

श्री इन्दर सिंह नामधारी : महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने आज झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगने की सूचना दी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को दोषी नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो पार्टियां शासन कर रही थीं, उन्होंने तश्तरी में परोसकर राष्ट्रपति शासन दिया है। झारखंड की स्थिति ऐसी है, जैसे अभी अजय कुमार जी बोल रहे थे, एक कवि ने लिखा है कि " अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। " जैसे आज अबला जीवन के बारे में, आज भी महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि आंचल में तो दूध है, लेकिन आंखों में पानी है, वैसे ही झारखंड की धरती की कोख में तो भंडार भरे हुए हैं, लेकिन गोद में गरीबी है। इतनी अमीरी होने के बाद भी, "क्या नहीं है मेरे महबूब में, क्या नहीं, क्या नहीं?" अगर आज गिनाले लगे तो इसके लिए समय चाहिए। आज वहां के लोग दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में होटलों में पतल साफ करते हुए मिलते हैं। यह हमारे राज्य का दुर्भाग्य है।

झारखंड राज्य को बने हुए 12 साल पूरे हो चुके हैं। वहां सरकारें चलीं, लेकिन वे जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकीं। झारखंड जो एक शांतिप्रिय इलाका था, उसे आदिवासी और गैर आदिवासी में बांटने की कोशिश की गयी और वहां विकास नहीं हो पाया और जो लक्ष्य था, उस तक हम नहीं पहुंच पाए। वहां राष्ट्रपति शासन लगा। गृह मंत्री जी एक बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं। मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं एक आग्रह इनसे करना चाहता हूं कि आप कृपया यह मैसेज मत दीजिए कि राष्ट्रपति शासन का मतलब कांग्रेस का शासन। पहले तो पार्टियां थीं, जो शासन चला रहीं थीं, लेकिन आज वहां यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वहां के जो अध्यक्ष हैं, उनके मुंह से भाषण देते हुए निकल गया कि अब तो अपना शासन आ गया। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, वह दूसरे सदन के सदस्य हैं। उनकी यह बात टीवी पर आयी कि अब तो हम लोगों का शासन आ गया है। गृह मंत्री जी, यह संवैधानिक व्यवस्था है। सरकार नहीं चल पायी, तो आपने राष्ट्रपति शासन लगाया। लेकिन आज यह अगर मानकर चलते हैं कि एक पार्टी विशेष का शासन हो गया तो यह लोकतंत्र का गला घोटने के बराबर होगा, क्योंकि राष्ट्रपति का शासन किसी दल विशेष का शासन नहीं, वह राष्ट्रपति का शासन है। राष्ट्रपति देश के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। इसका गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। जयराम रमेश जी सदन में उपस्थित नहीं हैं, मैं उनसे कहना चाहता था कि राष्ट्रपति शासन लगते ही, उन्होंने एक काम तो किया, एक-एक पूखंड में पांच-पांच हजार इंदिया आवास भेज दिए। पहले उनको यह याद नहीं आया, जब सरकार चल रही थी, एक छोटा सा पूखंड बंडरिया है, गढ़वा जिले में, वहां 6,500 इंदिया आवास दिए गए। आज वहां के सांसद को नहीं बुलाया गया, लेकिन जो निलंबित विधानसभा है, उसका विधायक आज 6,500 इंदिया आवास वहां जाकर बांट रहा है और कह रहा है कि यह मैं लाया हूं, यह मेरा काम है।

मैं आदरणीय शिंदे जी से कहना चाहता हूं, मैं एक भी बात ऐसी नहीं कहूंगा, जो बात सही न हो। मैं आज की बात बता रहा हूं। अभी मुझे फोन आया कि निलंबित विधान सभा का एक विधायक है, वह वहां जा नहीं सकता, उसे वहां नहीं जाना चाहिए, वह राज्यपाल को विद्वी लिखता है। एक आदिवासी मेला लगता था, मैं ही उस आदिवासी मेले को लगाता था, इसमें वहां के डीडीसी का कोई हाथ नहीं था। उस पर वह खुश नहीं थे, कुछ कारण रहे होंगे, उन्होंने लिखा कि मुझे निमंत्रण नहीं दिया डीडीसी ने, उस डीडीसी का तीन महीने के अंदर स्थानांतरण हो गया और उसे वहां पर बुला लिया गया। इसलिए कि एक निलंबित विधायक उन पर नाराज है। माननीय गृह मंत्री जी, यह अगर संदेश जाएगा, तो इसे राष्ट्रपति शासन कौन कहेगा?

मैं मानता हूं कि 12 सालों के बाद भी कांग्रेस को शासन को अवसर नहीं मिला है, लेकिन यह तो चिंता पर रोटी सेकने के बराबर होगा, अगर राष्ट्रपति शासन को आप कांग्रेस का शासन बना दें। मैं एक नहीं अनेक उदाहरण आपको बता सकता हूं। मेरे अपने क्षेत्र लातेहार में, चतरा में पांच हजार इंदिया आवास दिए गए, लेकिन मुझे सूचना नहीं है। कम से कम मुझे सूचना तो दे दी जाती, क्योंकि मैं उस एरिया का सांसद हूं। इसे जैसे लोगों के हाथों से बंटवाया जा रहा है, जिनको बांटने का कोई अधिकार नहीं है। * को पता नहीं किसने सिखा दिया, वह विधिवत समय देकर और पूरी पब्लिक मीटिंग करके यह बता रहे हैं और ...* कि यह काम इनकी मर्जी से और इनकी कृपा से हो रहा है।

अगर यह राष्ट्रपति शासन का मतलब है तो मैं समझता हूं कि संविधान की धारा 356 पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा और मुझे आप पर विश्वास है कि जो पूजन मैंने उठाए हैं, आप उनकी जांच करें, और अगर ही पाएं तो आप राज्यपाल महोदय को हिदायत भी दें, क्योंकि अति सर्वतृ वर्ज्येत अर्थात् ज्यादा न हो, अति न हो।

MR. CHAIRMAN : The other hon. Members are requested that they will get an opportunity during the Jharkhand Budget. Now, I will call the hon. Minister to give the reply.

...(Interruptions)

गृह मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): आप बजट पर बोलिएगा। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: After the Minister's Speech, you can seek the clarification. Let him reply. ...(Interruptions)

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय मैं यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: There are seven Members who have given their names. So, we are closing the discussion here. Please cooperate.

...(Interruptions)

श्री निशिकांत दुबे : सर, दो मिनट का समय दे दीजिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: After this reply, Nishikant Dubey ji you can seek clarifications.

...(Interruptions)

श्री सुशीलकुमार शिंदे : मैं सभी सभा सदस्यों का बहुत आभारी हूं। हम तो कभी वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना चाहते थे। कभी-कभी ऐसी दुर्घटना घटना होती है। इसमें कांग्रेस का क्या दोष है? ये कांग्रेस की सरकार ने राष्ट्रपति शासन लाया, हमने तो इसे नहीं लाया। बहुत से सदस्यों ने यहां जो कहा मैं उनका आभारी हूं। ये राष्ट्रपति शासन अपने खुद के कृतित्व से आपने लाया है। यह भी समझना चाहिए। पांडे जी कह रहे थे, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, उस विभाग के पत्रों के लिए वे हमेशा झगड़ते रहे हैं। मैं भी उनकी मदद करते रहा हूं, चाहे वे विरोधी दल के हों। इस सभागृह में हम लोग बहुत लोगों की मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के कुलीन हैं। कभी हम उधर रहते हैं तो कभी वे इधर रहते हैं। लेकिन हम कभी-कभी भूल जाते हैं कि वहां विरोधी दल के लोग बैठते हैं। यह

भूल जाते हैं कि हमारी टीका-टिप्पणी किस सीमा तक रहनी चाहिए। एक महोदय ने कहा कि जब राष्ट्रपति महोदय पर टीका-टिप्पणी करते हैं तो एक मर्यादा तक रहना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं इसे समझ सकता हूँ कि हमारे जो कांस्टिट्यूशनल प्रोविजन्स हैं, उनमें रह कर हमें टीका-टिप्पणी करनी चाहिए। मैं समझ सकता हूँ। झारखंड में मैंने इसलिए दुर्दैव कह दिया कि वर्ष 2009 में चुनाव हो गए। किसी का सहाय ले कर कांग्रेस ने वहां सरकार बनाई। वहां की सरकार ने इस्तीफा दे दिया वहां राष्ट्रपति शासन आ गया। हमने यह नहीं सोचा कि कांग्रेस की सरकार गई है तो वहां परमानेंटली राष्ट्रपति शासन लगाओ। तीन महीने के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी और जेएमएमएम साथ में आ कर मिले कि हम सरकार स्थापित करना चाहते हैं तो तुंत परमिशन दे दी गई। उस वक्त कुछ रूकाव लाया?...**(व्यवधान)** उस वक्त बिल्कुल रूकाव नहीं लाया। लेकिन जब अपने खुद ही गिरते हैं तो कांग्रेस क्या कर सकती है? हमने थोड़ी बोला था कि सरकार गिराएं। आप भारत सरकार को देखिए, डा. मनमोहन सिंह पर कितने संकट आते हैं, कितनी टीका-टिप्पणी होती है, फिर भी तैयार हैं। हम इतनी कोलिशन संभालने को तैयार हैं, बीजेपी को इसे समझना चाहिए। कोलिशन सरकार चलाना भी एक कला होती है।...**(व्यवधान)**

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : वाजपेयी जी से सीखना चाहिए।...**(व्यवधान)**

श्री सुशीलकुमार शिंदे : जरूर, वे भी अच्छे थे, वे भी अच्छी सरकार चलाते थे। लेकिन आपने ठीक से नहीं किया। आप दोबारा अपनी सरकार क्यों नहीं लाए।...**(व्यवधान)** मैं क्या बोलूँ। हिमाचल में थे, लेकिन वहां भी गंवा दी।...**(व्यवधान)** मैं कुछ नहीं कहना चाहता। यंगस्टर हैं, नए मैम्बर हैं, मैं सहयोग देता हूँ।

मैं इतना ही कहूंगा कि आपके मन में इस प्रकार की शंका नहीं रहनी चाहिए कि हम वहां कांग्रेस की सरकार चलाना चाहते हैं। मैंने स्पैसिफिकली कहा, श्री अजय कुमार, आईपीएस अधिकारी रिजाइन करके सदस्य बन गए। गृह मंत्री जी ने कहा कि मर्यादित समय पर वे सरकार ला सकते हैं। मैं उनका आभारी हूँ। टीका-टिप्पणी भी जरूर की, लेकिन वास्तविकता के अलावा कुछ नहीं बताया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इसमें हमारी खुशी नहीं है कि यह लम्बे समय तक चले। प्रजातंत्र में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि बहुत जगह ऐसा हुआ। जब तक मौका नहीं मिलता तब तक इस तरह होता है। इस बार भी राज्यपाल जी ने तीन दिन तक प्रयास किया कि क्या कोई सरकार बनाएगा। उन्होंने कांग्रेस से भी पूछा। कांग्रेस ने कहा कि हमें सरकार नहीं बनानी है, हम सम्मिलित नहीं होना चाहते। उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया। कौन्सिलीट्यूशन में जब तक मेजॉरिटी नहीं होती तब तक सरकार नहीं बना सकते। इसमें और मौका देने के लिए एक रास्ता खुला है। जब तक राष्ट्रपति शासन है, तब तक और सरकार बनाएं। आपको किसी ने मना नहीं किया, आप सरकार बना सकते हैं। आइए, सरकार बनाइए, वहां बैठिए। लेकिन मुझे इस बात का दुःख है कि आदिवासी पिछड़ा समाज है। उन्हें प्रोटेक्शन देना आपका, हमारा सबका कर्तव्य है। उनकी जमीन के बारे में यहां जिस तरह चर्चा हुई, मैं समझता हूँ कि सरकार जरूर एलर्ट रहेगी लेकिन सदन को भी एलर्ट रहना है। उन बेचारों की आवाज यहां तक ज्यादा नहीं आती, इसलिए उन्हें ज्यादा ताकत देना हमारा कर्तव्य होता है।

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि यहां बजट पर चर्चा होनी है। मैं सदन से विनती करूंगा कि इस रेजोल्यूशन को मान्य कीजिए। **â€!****(व्यवधान)**

श्री निशिकांत दुबे : आदरणीय शिंदे साहब, आप रविन्द्र पांडेय साहब पर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिए।

â€!**(व्यवधान)**

श्री निशिकांत दुबे : मेरा प्रश्न है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। यह मानसिकता दिखाई देती है। गवर्नर रूल में लगातार एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। आपको पहली बार दिखाई देगा कि टेलीविजन चैनल का किस तरह से वहां के ...* कर रहे हैं। नामधारी जी कह रहे थे कि वहां ...* बन गया है तो कोई गलत नहीं कह रहे थे। गवर्नर अपनी पब्लिसिटी नहीं करता। मेरा सवाल है कि वहां संथाल-परगना टेनेसी एक्ट है, छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट है। अर्जुन मुंडा जी पर गलत आरोप है और डोमीसाइल है जिसके कारण हाई कोर्ट का आदेश है कि डोमीसाइल पूरे देश का होता है, पूरे राज्य का नहीं होता। दो चीजें हैं, आप झारखंड को किस तरह लूटने का प्रयास कर रहे हैं। एक, पंचायत चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण झारखंड में नहीं हुआ था, किसी सरकार ने नहीं रोका था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंचायत चुनाव हुए। आपके यहां हमारे छः हजार करोड़ रुपये बकाया हैं। दूसरा, पेंशन है। संयोग से वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं।...**(व्यवधान)**

15.00hrs

सभापति महोदय, यह बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। वर्ष 1956 के बाद से जितने भी राज्य बने हैं, उन राज्यों में पापुलेशन के आधार पर पेंशन का बंटवारा हुआ है चाहे किसी भी राज्य का हो। हमारे यहां आप कर्मचारियों की संख्या के आधार पर कर रहे हैं। इससे 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान झारखंड को हो रहा है। मेरे आपसे केवल दो प्रश्न हैं कि पंचायत चुनाव के बाद जो हमारा 6 हजार करोड़ रुपया बकाया है, वह आप देना चाहते हैं या नहीं? दूसरा, पेंशन में जनसंख्या के आधार पर, जो नियम पूरे देश भर में लागू हैं, वह नियम आप हमारे यहां क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? इसमें केन्द्र सरकार को क्या समस्या है या झारखंड को कैसे आप बर्बाद नहीं होने देना चाहेंगे, इसका जवाब आप झारखंड की जनता को दीजिए।

श्री सुशीलकुमार शिंदे : माननीय सदस्य का जो पहला सवाल है, उसकी इन्फोर्मेशन लेने के बाद ही मैं उन्हें उसकी मालूमात दे सकता हूँ। He is asking me this question at the eleventh hour and, therefore, I am unable to give him a reply.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): He can raise it in the Budget discussion.

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: As regards the second question that he has raised, the Finance Minister is here and he will get a reply from the Finance Minister.

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That this House approves the Proclamation issued by the President on the 18th January, 2013 under article 356(1) of the Constitution in relation to the State of Jharkhand."

The motion was adopted.
